न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 19/2020

शीर्षक

1. मनोहर पुत्र गणपत
2. सायर पुत्र गणपत

समस्त जाति मीणा ,उम्र व्यस्क, निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. कबूल देवी पत्नी स्व0 किशोर
2. अरविन्द पुत्र स्व0 किशोर
3. राजाराम पुत्र स्व0 किशोर
4. सुनिता पुत्री किशोर

समस्त उम्र व्यस्क, जाति मीणा निवासी ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

6. माया देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी छीतरमल, जाति मीणा, उम्र व्यस्क, निवासी अभयपुरा तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर
7. कंचन देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी भागीरथ, जाति मीणा, निवासी ग्राम लालासर तहसील रेवनवाल जिला जयपुर
8. आंची देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी सावर लाल मीणा, जाति मीणा, छाजना, तहसील खण्डेला जिला सीकर
9. छोटी देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी गजानन्द मीणा, जाति मीणा, निवासी मीणों का मौहल्ला, छाजना तहसील खण्डेला जिला सीकर
10. कमला देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी भंवरलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी कानरपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 18-11-22

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 696/2042 रकबा 0.20, 736 रकबा 0.21, 738 रकबा 0.53 कुल किता 3 रकबा 0.94 है0 वाकै ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी में खातेदार किशोर पुत्र गणपत की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 है जिनको पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 का हिस्सा 9/32 वादी संख्या 2 का हिस्सा 9/32 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 9/32 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 का हिस्सा प्रत्येक का 1/32 हिस्सा कुल 9/32 हिस्सा है। इस प्रकार सभी पक्षकारान शामलाती में अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है।
2. वादपत्र में वर्णित आराजीयान का कानूनी बटवारा नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने उक्त आराजी का बिना बटवारा कराये ही पुख्ता निर्माण कार्य चालू कर दिया है और सडक से लगती हुई भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते रहते है जिससे शामिल में काश्त करना संभव नही रहा है। अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर कब्जा काश्त करते हुये आ रहे है।
3. प्रतिवादीगण भूमि का कानूनी बटवारा कराये बिना ही विशिष्ट भूभाग पर निर्माण कार्य करना चाहते है तथा सडक से लगती हुई भूमि पर अपना कब्जा करना चाहते है क्योकि अभी तक उक्त आराजी का कानूनी बटवारा नही हुआ है। प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के व्यक्ति है आये दिन वादीगण के साथ सीमा विवाद करते है सडक से लगती हुई भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है।
4. आज से सप्ताहभर पूर्व वादीगण अपने हिस्से कि भूमि की देखभाल कर रहे थे कि अचानक प्रतिवादीगण आये वादीगण के साथ झगडा फसाद करने लग गये। प्रतिवादीगण ने कहा कि हम सडक से लगती हुई अच्छी भूमि पर कब्जा कर पुख्ता निर्माण करेगें। उक्त आराजी का कोई कानूनी बटवारा नही करेगें। इस कारण वादीगण को वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर राज

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 696/2042 रकबा 0.20, 736 रकबा 0.21, 738 रकबा 0.53 कुल किता 3 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि का राजस्व बोर्ड के नियमों के तहत सरस नरस के आधार पर कानूनी बटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने की आज्ञा प्रदान करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिए पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 10 की ओर से उनके वकील उपस्थित आये व जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा। दिनांक 24.03.2021 को वकील उभयपक्ष ने प्रकरण को प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। दिनांक 28.03.2022 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात प्राप्त हुये बटवारा रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति पेश की गई वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना आपत्ति कुर्रेजात का जवाब पेश नही कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। आपत्ति कुर्रेजात पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात के संबंध में निवेदन किया कि उक्त भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था बटवारा रिपोर्ट पर उप तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर है हमें बिना सूचना के बटवारा रिपोर्ट तैयार की गई है। बटवारा रिपोर्ट में नियमों के विरूद्ध है। अतः बटवारा रिपोर्ट निरस्त कर पुनः बटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी ने बटवारा रिपोर्ट आपत्ति के संबंध में निवेदन किया कि बटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार ही तैयार की गई है बटवारा रिपोर्ट पक्षकारान को सूचना दी गई है। बटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय प्रतिवादीगण उपस्थित रहे है और उनके द्वारा बटवारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया है जिसका नोट बटवारा रिपोर्ट पर अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज कर बटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया गया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है। बटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय प्रतिवादीगण को भी सूचित किया गया है प्रतिवादगण बटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय मौके पर उपस्थित रहे है जिसका अंकन बटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट में है जिससे जाहिर होता है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरी करने की गरज से पेश किया गया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात सही पेश किये गये है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 696/2042 रकबा 0.20, 736 रकबा 0.21, 738 रकबा 0.53 कुल किता 3 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. अरविन्द पुत्र किशोर हिस्सा 9/128, आची पुत्री गणपत हिस्सा 1/32, कंचन पुत्री गणपत हिस्सा 1/32, कबूल पत्नी किशोर हिस्सा 9/128, छोटी पुत्री गणपत हिस्सा 1/3, पांची पुत्री गणपत हिस्सा 1/32, मनोहर पुत्र गणपत हिस्सा 9/32, माया उर्फ मेवा पुत्ररी गणपत हिस्सा 1/32, राजाराम पुत्र किशोर हिस्सा 9/128, समीता पुत्री किशोर हिस्सा 9/128, सायर पुत्र गणपत हिस्सा 9/32 जाति मीणा सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 736 रकबा 0.21 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।
2. अरविन्द पुत्र किशोर हिस्सा 1/4, कबूल पत्नी किशोर हिस्सा 1/4, राजाराम पुत्र किशोर हिस्सा 1/4, समीता पुत्री किशोर हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा. देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 696/2042 रकबा 0.20 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. सायर पुत्र गणपत जाति मीणा सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 738/2 रकबा 0.20 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
4. मनोहर पुत्र गणपत जाति मीणा सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 738/3 रकबा 0. 20 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
5. आची पुत्री गणपत हिस्सा 1/5, कंचन पुत्री गणपत हिस्सा 1/5, छोटी पुत्री गणपत हिस्सा 1/5, पांची पुत्री गणपत हिस्सा 1/5, माया उर्फ मेवा पुत्री गणपत हिस्सा 1/5 जाति मीणा सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 738/1 रकबा 0.13 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-11-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 19/2020

शीर्षक

1. मनोहर पुत्र गणपत
2. सायर पुत्र गणपत

समस्त जाति मीणा ,उम्र व्यस्क, निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. कबुल देवी पत्नी स्व0 किशोर
2. अरविन्द पुत्र स्व0 किशोर
3. राजाराम पुत्र स्व0 किशोर
4. सुनिता पुत्री किशोर

समस्त उम्र व्यस्क, जाति मीणा निवासी ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

6. माया देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी छीतरमल, जाति मीणा, उम्र व्यस्क, निवासी अभयपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर
7. कंचन देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी भागीरथ, जाति मीणा, निवासी ग्राम लालासर तहसील रेवनवाल जिला जयपुर
8. आंची देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी सावर लाल मीणा, जाति मीणा, छाजना, तहसील खण्डेला जिला सीकर
9. छोटी देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी गजानन्द मीणा, जाति मीणा, निवासी मीणों का मौहल्ला, छाजना तहसील खण्डेला जिला सीकर
10. कमला देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी भंवरलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी कानरपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 18-11-22

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 696/2042 रकबा 0.20, 736 रकबा 0.21, 738 रकबा 0.53 कुल किता 3 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. अरविन्द पुत्र किशोर हिस्सा 9/128, आची पुत्री गणपत हिस्सा 1/32, कंचन पुत्री गणपत हिस्सा 1/32, कबूल पत्नी किशोर हिस्सा 9/128, छोटी पुत्री गणपत हिस्सा 1/3, पांची पुत्री गणपत हिस्सा 1/32, मनोहर पुत्र गणपत हिस्सा 9/32, माया उर्फ मेवा पुत्ररी गणपत हिस्सा 1/32, राजाराम पुत्र किशोर हिस्सा 9/128, समीता पुत्री किशोर हिस्सा 9/128, सायर पुत्र गणपत हिस्सा 9/32 जाति मीणा सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 736 रकबा 0.21 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।
2. अरविन्द पुत्र किशोर हिस्सा 1/4, कबूल पत्नी किशोर हिस्सा 1/4, राजाराम पुत्र किशोर हिस्सा 1/4, समीता पुत्री किशोर हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा. देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 696/2042 रकबा 0.20 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. सायर पुत्र गणपत जाति मीणा सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 738/2 रकबा 0.20 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

सहायक कलक्टर

...मोहर पुत्र गणपत जाति मीणा सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 738/3 रकबा 0.20 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

5. आची पुत्री गणपत हिस्सा 1/5, कंचन पुत्री गणपत हिस्सा 1/5, छोटी पुत्री गणपत हिस्सा 1/5, पांची पुत्री गणपत हिस्सा 1/5, माया उर्फ मेवा पुत्री गणपत हिस्सा 1/5 जाति मीणा सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 738/1 रकबा 0.13 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 18-11-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. ाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	